आवासहीन परिवारों की संख्या के सवाल पर मंत्री खर्रा और सुभाष गर्ग के बीच नोंकझोंक

दरअसल प्रश्नकाल में आर.एल.डी. विधायक सुभाष गर्ग ने आवासहीन परिवारों की संख्या पूछी थी, लेकिन यू.डी.एच. मंत्री खर्रा पीएम आवास योजना को लेकर जवाब देने लगे थे

जयपुर (विसं)। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी सदन में विपक्ष के सवालों में उलझकर रह गए। प्रश्नकाल के दौरान विवाद की शुरुआत आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के सवाल से हुई। गर्ग ने भरतपुर में आवासहीन परिवारों की संख्या और पीएम आवास योजना के पात्र परिवारों पर सवाल पूछा था। सही जवाब नहीं मिलने पर विधायक सुभाष गर्ग ने आपत्ति जताई। जिस पर दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बहस और नोंकझोंक होत रही।

मंत्री खर्रा के जवाब से असंतुष्ट सुभाष गर्ग ने कहा कि पहले

- **इस बीच अन्य मंत्रियों ने मंत्री के पक्ष में जवाब देने की कोशिश की तो नेता प्रतिपक्ष ने भी आपत्ति जताई**

आवासहीन परिवारों की संख्या बताइए। जिस पर मंत्री खर्रा, पीएम आवास योजना की पात्रता की शर्तें बताने लगे। उनके जवाब पर गर्ग ने आपत्ति करते हुए कहा कि होमलेस पॉलिसी-2022 में आवासहीन परिवारों के सर्वे करने का प्रावधान है या नहीं। मैंने तो इस पर जवाब मांगा था। मैं तो हां-ना में जवाब मांग रहा हूं।

जिस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भरतपुर में पीएम आवास योजना के 80 फीसदी पूरे हो चुके है। गर्ग ने कहा कि, भूमिहीन परिवारों की संख्या पर सवाल किया है। जिनके पास भूमि ही नहीं है वो आावासहीन कैसे होगा? आवासहीन तो उस दिन होगा जिस दिन भूमि होगी। जिसके पास जमीन नहीं है, वो तो बेघर कहलाएगा। आवासहीन नहीं। जिसके पास रहने का ठौर नहीं, वो बेघर है। जिसके पास मकान नहीं है, लेकिन जमीन है वो आवासहीन कहलाएगा।

इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक नोंकझोंक होती रही। यूडीएच मंत्री ने कहा कि भूमिहीन परिवारों की संख्या चाही है तो कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाकर दे देंगे।

इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यूडीएच मंत्री के जवाब के बीच दो मंत्रियों के खड़े होने पर तंज कसते हुए कहा कि यहां एडवोकेट की जरूरत नहीं होती।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि आप साल पूछिए भाषण देने का अधिकार नहीं है। जूली ने कहा सच्चाई बता दी तो कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। जूली ने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री जल्दीबाजी कर गए। उन्होंने आवासहीन का सवाल पूछा था, सदस्य ने गलती कर दी कि होमलेस पॉलिसी पर पूछ लिया। इन्होंने आवासहीन समझ लिया बात एक ही है। सवाल इतना सा है कि जिनके पास मकान नहीं है मकान कब तक दोगे?

जवाब गलत आया इसलिए कहा कि 2022 में जब होमलेस पॉलिसी आ गई, तो उसका मापदंड पूछे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने खुद को ज्यादा काबिल साबित करने के चक्कर में मंत्रीजी को और मरवा दिया।

'आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा पोषाहार दे रहे, जिन्हें कुत्तें भी नहीं खाए'

जयपुर (विसं)। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रस विधायक रमिला खड़िया ने जनजाति मंत्री पर आरोप लगाते हुए तंज कसे। मां बाड़ी केंद्रों पर 4-4 महीने से पोषाहार नहीं आ रहा। जो पोषाहार आ रहा है, जो एक रुपए के बिस्किट का पैकेट आ रहा है, उसको कुत्ते भी नहीं खा रहे हैं। ऐसा पोषाहार पहुंच रहा है, जो कुत्ते भी नहीं खाए, आप चेक करो। आप मंत्री हो, चेक क्यों नहीं करते हैं। इस पर टीएडी मंत्री ने कहा कि आपकी अध्यक्षता में ही कमेटी बना देता हूं।

- **कांग्रेस विधायक रमिला खड़िया ने सदन में पोषाहार पर टिप्पणी की**

इससे पहले उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी के लोग लगने चाहिए, लेकिन आपने जनरल को लगा दिया। मंत्री ने अपने रिश्तेदारों के कहने पर टीएसपी क्षेत्र में नौकरी लगा दी। गत 3-4 महीने से शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। मंत्रीजी, चेक करके देखो।

बूंदी जिले की कानून व्यवस्था पर हंगामा

जयपुर (विसं)। बूंदी जिले में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं और चरमराती कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को विधानसभा में तीखा हंगामा देखने को मिला।

विधायक हरिमोहन शर्मा ने नियम-50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव रखकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बूंदी जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि हत्या, अपहरण और लूट जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं, जबकि पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है।

भील प्रदेश के लिए सड़क से सदन तक लडेंगे : कटारा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान चौरासी से भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) विधायक अनिल कटारा ने राज्य सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए भील प्रदेश की मांग उठाई। कटारा ने कहा कि आदिवासियों के जंगल उजाड़े जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं और पहाड़ों को काटा जा रहा है। आरक्षण के अनुरूप भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। अगर इसी तरह आदिवासी समाज की तौहीन

- **चौरासी के बीएपी विधायक कटारा ने आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया**

होती रही, आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही तो हमारे पास अंतिम विकल्प यही है कि हम भील प्रदेश की मांग करते है। भील प्रदेश के लिए हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे और भील प्रदेश को लेकर रहेंगे।

'धौराला में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन कार्य अग्रिम चरण में है'

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के धौराला राजस्व गांव में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आंवटन का काम अग्रिम चरण में है। कर्नल राठौड़ प्रश्नकाल में विधायक मांगेलाल मीना के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ

- **उद्योग मंत्री ने कर्नल राठौड़ सदन में बताया कि ''राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ उपयुक्त जमीनों को चिह्नित कर लैंड बैंक भी तैयार कर रही है, ताकि भविष्य में उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें समय पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके।''**

उपयुक्त जमीनों को चिह्नित कर लैंड बैंक भी तैयार कर रही है, ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें समय पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ में उपलब्ध भूमि प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) में आने के कारण इसका उपयोग उद्योगों के लिए नहीं हो सकता है।

उन्होंने बताया कि राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कुल 114 प्लॉट उपलब्ध हैं, इनमें 110 प्लॉट आवंटित तथा 4 रिक्त हैं। इस क्षेत्र में कुल 40 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 25 एकड़ उद्योगों तथा शेष भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित है। उन्होंने बताया कि राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में डोलोमाइट प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग स्थापित हैं। खनन प्रतिबंधों के कारण इन उद्योगों की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों को देखते हुए राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है।

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए राजस्व गांव धौराला में 27.68 हैक्टेयर भूमि व लक्ष्मणगढ़ उपखंड के ग्राम मुण्डजोडी में 27.37 हैक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। धौराला राजस्व गांव की चिह्नित भूमि आवंटन के लिए जिला कलक्टर व राजस्व विभाग को समय-समय पर लिखा गया है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मणगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का काम चिह्नित भूमि के आंवटन के बाद शुरू किया जायेगा।

पिछले दो साल से बीएसआर क्यों नहीं बदली? : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों की दरें तय करने वाली बीएसआर (बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स) को पिछले दो साल से नहीं बदलने व नए टेंडर्स से प्राइस वेरिएशन क्लॉज हटाए जाने को गंभीर माना है। साथ ही राज्य सरकार से पूछा है कि बीएसआर को क्यों नहीं बदला गया। यह भी पूछा है कि मौजूदा बाजार दरों की तुलना में पुराने बीएसआर को लागू रखने का क्या औचित्य है और क्या नियमों के तहत प्राइस वेरिएशन क्लॉज हटाने की अनुमति ली गई थी।

खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार अपने जिम्मेदार अधिकारी के जरिए हलफनामा दाखिल करे, जिसमें इन सभी सवालों के जवाब हों। मामले की आगामी सुनवाई 19 फरवरी 2026 को तय की है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने ओमप्रकाश मीना की पीआईएल पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता महेन्द्र शांडिल्य ने बताया कि प्रार्थी सिविल वर्क कॉन्ट्रेक्टर है। पीएचईडी विभाग सहित अन्य विभागों ने राजस्थान पब्लिक वर्क्स फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए न तो समय पर बीएसआर जारी किया और न ही वित्त विभाग से अनुमति लेकर टेंडरों की शर्तों में बदलाव किया। इतना ही नहीं जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 जैसी बड़ी योजनाओं के लिए भी टेंडर जारी करते हुए प्राइस वेरिएशन क्लॉज को पूरी तरह से हटा दिया गया। प्रार्थी की ओर से आरोप लगाया कि कई नए टेंडरों में प्राइस वेरिएशन क्लॉज को पूरी तरह से हटाया है। जबकि नियमानुसार हर साल बीएसआर का पुनरीक्षण जरूरी है ताकि बाजार में श्रम और सामग्री की वास्तविक दरों को प्रतिबिंबित किया जा सके। लेकिन साल 2023-24 के बाद प्रदेश में नया बीएसआर जारी नहीं किया, जबकि बाजार दरों में गिरावट हुई है। यह न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। प्राइस वेरिएशन क्लॉज हटाकर ठेकेदारों को अनुचित लाभ व राज्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह राजस्थान पब्लिक वर्क्स फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स और राज्य की घोषित नीति के विपरीत है।

'पेपरलीक में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दो मंत्री जेल में होने चाहिए थे'

जयपुर (विसं)। राज्यपाल के अभिभाषण पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा के आरोपों पर सदन में माहौल गर्मा गया। गोपाल शर्मा ने पेपरलीक का मामला उठाते हुए कहा कि, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब पुलिस महानिदेशक ने पेपर लीक की फाइल देखी थी तो उन्होंने कहा था कि ईमानदारी से कार्रवाई की जाए तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दो मंत्री, जो उस समय राज्य मंत्री थे, उन्हें जेल में होना चाहिए था। गोपाल शर्मा ने कहा कि यह सब जानते हैं कि वह कौन मंत्री थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर यह लोग जेल में नहीं होंगे तो राजस्थान में कभी भी सुख-शांति का शासन नहीं आएगा, इसलिए इन दोनों को खुद ही आत्म समर्पण करना चाहिए।

सिविल लाइंस विधायक ने आगे कहा कि, कांग्रेस राज में एक पूर्व मंत्री तो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बताकर विदेश यात्रा तक पर ले गए थे। शांति धारीवाल सहित वरिष्ठ नेताओं को पता है वो पूर्व मंत्री कौन थे? गोपाल शर्मा के इन आरोपों के बाद सदन में माहौल गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति करते हुए कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। इस पर सभापति

- **सिविल लाइंस विधायक ने कहा कि सदन में ''जब पुलिस महानिदेशक ने पेपरलीक की फाइल देखी थी, तब उन्होंने कहा था कि ईमानदारी से कार्रवाई की जाए तो पूर्ववर्ती सरकार के दो मंत्री जेल में होने चाहिए।''**

संदीप शर्मा ने कहा कि अगर किसी का नाम लिया है तो उसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इसके बाद भी विधायक शर्मा नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ''मैं जेल सुधार कमेटी का सदस्य हूं, जब मैं जेल में लोगों से मिलने गया तो वहां पर पेपर लीक मामले में बंद लोगों की बातें और उनका दर्द सुना। यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं है यह पेपर के बाद पद पर नियुक्ति का मामला है। मैंने कुछ बहनों से पूछा कि क्या अपराध है, वे बोली नेता उन्हें ले गए और कहा कि वह व्यक्ति परीक्षा नहीं देगा, उसकी जगह पर आप लोग परीक्षा दोगे। हमारी बच्चियों को दूसरे की जगह परीक्षा दिलाने पर मजबूर करने वालों ने उनका जीवन का गला घोंट दिया।

यूनेस्को की हैरिटेज सूची में शामिल गुलाबी नगरी की विरासतों का संरक्षण किया जाए : वी. श्रीनिवास

मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर यूनेस्को के दिशा-निर्देशों पर चर्चा की

जयपुर (कासं)। यूनेस्को की विश्वविरासत सूची में शामिल ''गुलाबी नगरी'' (जयपुर) में हैरिटेज विरासतों के संरक्षण को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक ली।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूनेस्को

- **मुख्य सचिव ने वॉल्ड सिटी जयपुर के लिए तैयार किए जा रहे ''स्पेशल एरिया हैरिटेज प्लान'' की प्रगति भी जानी**
- **उन्होंने जयपुर परकोटे में स्वच्छता बनाए रखने, शहर के सौंदर्य को प्रभावित करने वाले बैनर, विज्ञापन व अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए**

के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पिंकसिटी का संरक्षण और पुररूद्धार किया जाए। उन्होंने यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज सिटी स्टेटस के तहत आवश्यक कार्यों की समीक्षा करते हुए 'होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच' अपनाने पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग की संयुक्त टीम को पिंक सिटी का निरीक्षण कर कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने वॉल्ड सिटी क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने, शहर के सौंदर्य को प्रभावित करने वाले बैनर, विज्ञापन एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से हैरिटेज गेट्स एवं प्रमुख मार्गों पर नियमित निगरानी रखते हुए अवैध तत्वों को हटाया जाए।

मुख्य सचिव ने वॉल्ड सिटी जयपुर के लिए तैयार की जा रही विशेष क्षेत्र विरासत योजना (स्पेशल एरिया हैरिटेज प्लान) की प्रगति की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि बेस मैप, सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल, आजीविका, पर्यटन, परिवहन एवं गतिशीलता, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण एवं परिदृश्य तथा विधायी एवं प्रबंधन ढांचे से संबंधित विभिन्न घटकों पर कार्य प्रगति पर है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टी, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन सहित पर्यटन, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, नगर निगम जयपुर व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उच्चस्तरीय बैठक में जयपुर परकोटे के संरक्षण पर चर्चा की।

तेज रफ्तार कार ने साइकिल पर जा रहे तीन मजदूरों को कुचला

जयपुर। राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार कार से दुर्घटना होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि पुलिस हादसों को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। इसके बावजुद भी आए दिन दुर्घटना होती नजर आ रहीं है। मंगलवार-बुधवार की मध्यरात्रि तेज रफ्तार कार ने विधाद्यर नगर थाना इलाके में साईकिल से घर जा रहे तीन मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया व दूसरे मजदूर ने उपचार दौरान दम तोड़ दिया।

थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि कि मंगलवार- बुधवार की मध्यरात्रि क्रॉस मॉल के पास चारों मजदूर मैरिज गार्डन से कैटरिंग का काम करने के बाद अलग-अलग साइकिल से जालूपुरा स्थित अपने किराए के मकान पर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने तीनों मजदूरों को जोरदार टक्कर मारते हुए फरार हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद विधाधर नगर पुलिस व भट्टा बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए कांवटिया अस्पताल भिजवाया। वहीं चिकित्सकों ने देवत्त बेहरा उर्फ टप्पू (45) बालेश्वर ,ओडिशा निवासी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल अमूल्य ने भी उपचार दौरान दम तोड़ दिया। वही गंभीर रुप से घायल संग्राम का उपचार जारी है। थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया बुधवार देर रात 18 से 20 मजदूर साइकिलों से अपने घर लौट रहें थे। तभी तेज रफ्तार कार ने क्रॉस मॉल रोड़ पर उन्हे कुचल दिया। जिससे कई मजदूरों को चोट आई। लेकिन एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उपचार दौरान दूसरे मजदूर ने दम तोड़ दिया। हिम्मत सिंह ने बताया कि इस मामले में कई मजदूरों ने शिकायत ही दर्ज नहीं कराई है। जबकि इस मामले में कई अन्य मजदूरों को भी चोट आई है। थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि सभी मजदूर दूसरे राज्यों के रहने वाले है और यहां जयपुर के जालूपुरा इलाके में किराए का कमरा लेकर कैटरिंग का काम करते है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार कार चालक की तलाश शुरु कर दी है। पुलिस इस मामले में कैटरिंग ठेकेदार से भी जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की सूचना पर एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत, एसीपी सुरेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे।

बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव 7 फरवरी तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे

विधायक फंड के दुरूपयोग और मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने बुधवार को एमएलए फंड के दुरुपयोग के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बहरोड़ के पूर्व एमएलए बलजीत यादव को 7 फरवरी तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने यादव को कोर्ट में पेश कर कहा कि उसने फर्जी फर्म बनाकर करोडों रुपए का फंड हडपा है। उससे अभी इस मामले में पूछताछ करनी है, इसलिए उसे रिमांड पर दिया जाए। यादव के वकीलों ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर यादव को तीन दिन के रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में पूर्व विधायक यादव पर एमएलए फंड से 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि के दुरुपयोग व गबन का आरोप है। जिस पर ही ईडी ने पीएमएलए के तहत यादव के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ईडी ने अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा से मंगलवार रात पूर्व विधायक बलजीत यादव को हिरासत में लिया था। बाद में पूछताछ के लिए जयपुर स्थित ईडी ऑफिस लाया गया। पूछताछ के बाद बलजीत यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।

कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने पहले 6 दिन व बाद में 4 दिन के लिए यादव को रिमांड पर देने का आग्रह किया। ईडी का आरोप है कि पूर्व एमएलए यादव के निर्देश पर परिचित व रिश्तेदारों की 4 फर्मों को खेल सामग्री खरीद के टेंडर मंजूर हुए, जिसमें बाजार मूल्यों की तुलना में कई गुना कीमत पर सामान की खरीद कर फर्जीवाड़ा किया। ईडी के अधिवक्ता अजातशत्रु मीना ने कहा कि सरकारी स्कूलों में खेल सामान की आपूर्ति करने वाली सभी चारों फर्म पूर्व विधायक बलजीत यादव के कर्मचारी व रिश्तेदारों की है।

- **इस मामले में यादव पर एमएलए फंड से 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि के दुरुपयोग व गबन का आरोप है**

टेंडर में की गई आपूर्ति का भुगतान होने के बाद ये सभी फर्में बंद हो गईं। खेल सामग्री की आपूर्ति से प्राप्त दो करोड़ 74 लाख 75 हजार रुपए का उपयोग वैशाली नगर में प्लॉट खरीदने, बहरोड़ के पास 12.50 बीघा कृषि भूमि की खरीद के लिए अग्रिम देने व चुनावी रैली में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने में हुआ है।

यादव के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तारी की, जबकि एसीबी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का स्टे है। यह राजनीति प्रेरित व राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र का मामला है। अभी तक 5 बार जांच हो चुकी है, जिसमें किसी को दोषी नहीं माना गया। पेशी के दौरान बलजीत यादव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहरोड़ के मौजूदा भाजपा विधायक जसवंत यादव अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं और इसी कारण उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जसवंत यादव गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

बीसीआर चुनाव में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण, याचिका निस्तारित

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए 30 फीसदी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दी। खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका है, ऐसे में याचिका सारहीन हो गई है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश एडवोकेट हेमा तिवारी की जनहित याचिका पर दिया।

सुनवाई के दौरान बीसीआई के अधिवक्ता निखिलेश कटारा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के शपथ पत्र के आधार पर राज्यों की बार काउंसिलों के आगामी चुनावों में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पहले ही आरक्षण देने का निर्देश दे दिया है। इस जनहित याचिका में भी प्रदेश की बार काउंसिल में महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया है। ऐसे में अब यह जनहित आगे सुनवाई के लिए सारहीन हो चुकी है।

सार-समाचार

'सुनने की कला' है पालन-पोषण का मूल

'पेरेंटिंग सिक्रेट्स फ़ॉर रेज़िंग रॉकस्टार्स' का विमोचन बुधवार को एमजीडी गर्ल्स स्कूल जयपुर में किया गया।

जयपुर। पालन-पोषण को केवल नियमों या अपेक्षाओं तक सीमित न रखते हुए उसे संवेदनशील संवाद, धैर्य और समझ की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती पुस्तक 'पेरेंटिंग सिक्रेट्स फ़ॉर रेज़िंग रॉकस्टार्स' का विमोचन बुधवार को एमजीडी गर्ल्स स्कूल, जयपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। 2-पेज़ेज़ बुक क्लब, जयपुर द्वारा आयोजित इस ओपन-फॉर-ऑल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और पुस्तक प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के संबोधन से हुई जिसमें वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक शिवपुरी, एमजीडी गर्ल्स स्कूल की निदेशक अर्चना एस. मनकोटिया, डॉ. एस. सीतारामन, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ ने अपने संबोधन में 'सुनने की कला' को प्रभावी पालन-पोषण का मूल बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों की बात बिना जल्दबाज़ी और निर्णय के सुनना, उनके आत्मविश्वास को मज़बूत करता है और रिश्तों को गहराई देता है। साथ ही आज के तेज़ और शोरभरे जीवन में मानसिक शांति बनाए रखने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शांत मन ही सही निर्णयों की नींव होता है और बच्चों को सबसे पहले वही वातावरण घर से मिलता है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. मयंक गुप्ता और रिधिमा चौधरी के साथ एक संवादात्मक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसका संचालन 2-पेज़ेज़ बुक क्लब के सदस्य और युवा अभिभावक प्रणिता एवं अंकित डागा ने किया। इस दौरान किताब से जुड़े पहलुओं पर बात हुई, जिसमें पुस्तक के सह-लेखक और मनोचिकित्सक डॉ. मयंक गुप्ता ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रतिभा से अधिक प्रयास जीवन में स्थायी सफलता दिलाता है। बच्चों में मेहनत करने की आदत विकसित करना, उन्हें किसी भी कौशल से अधिक सशक्त बनाता है मनोवैज्ञानिक रिधिमा चौधरी ने कहा कि जब बच्चे को समझा जाता है, तब वह खुद को समझना सीखता है। चर्चा में अभिभावकों के वास्तविक सवालों, दैनिक चुनौतियों और व्यावहारिक समाधानों पर खुलकर बातचीत हुई। इस अवसर पर 2-पेज़ेज़ बुक क्लब के संस्थापक सदस्य डॉ. राम गुलाटी, प्रग्या रामजेवाल और मोहित बत्रा भी उपस्थित रहे।

मातृ वंदना की रैंकिंग में राजस्थान प्रथम

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आईसीडीएस राजस्थान को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में राष्ट्रीय स्तर पर जारी मासिक रैंकिंग, (जनवरी 2026) में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है। दिया कुमारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आईसीडीएस की ओर से सितम्बर 2025 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान करने के पश्चात पुन: जनवरी 2026 में भी प्रथम स्थान प्राप्त करना गर्व की बात है। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा निरंतर कीर्तिमान रचे जा रहे है, जिसमें उक्त उपलब्धियों के साथ ही पिछले वर्ष 2025 में विभाग को पोषण माह में दूसरा तथा पोषण पखवाड़ा में प्रथम स्थान मिलना भी उल्लेखनीय उपलब्धि है। आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि राजस्थान के प्रथम स्थान के साथ ही इस मासिक रैंकिंग में कर्नाटक दूसरे स्थान पर तथा असम तीसरे स्थान पर है वहीं महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश क्रमश: चौथे और पाचंवे स्थान पर है।

बंधन बैंक ने मासिक एवरेज बैलेंस घटाया

जयपुर। बंधन बैंक ने स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट के लिए मासिक औसत शेष (एमएबी) की आवश्यकता में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है, जबकि खाते की सभी सुविधाएँ और लाभ पहले की तरह ही रहेंगे। स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट के लिए एमएबी की आवश्यकता को 5000 रुपए से घटाकर 2000 रुपए किया जा रहा है, जो 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होगी। बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य व्यवसाय अधिकारी राजिंदर कुमार बब्बर ने कहा, गणतंत्र दिवस समानता और सशक्तिकरण का उत्सव है। हालांकि, इस खाते से जुड़े प्रोडक्ट फीचर्स और लाभों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह कदम देशभर के लाखों ग्राहकों, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बैंकिंग को अधिक किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता कम कर, बंधन बैंक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी वित्तीय दबाव के पूर्ण-सेवा बचत खाते के लाभ उठा सके।

'एसीबी एसआईटी के मुखिया पेश हों'

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटालों की प्रभावी जांच नहीं करने से जुड़े मामले में एसीबी की ओर से गठित एसआईटी के मुखिया को 5 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ में आदेश टीएन शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान एडिशनल एसपी श्याम सुंदर और उपाधीक्षक सुरेंद्र पंचोली अदालत में हाजिर हुए उनकी ओर से जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीसी भंडारी ने कहा कि 6 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पिछले 5 साल के टेंडर की जांच की आदेश दिए थे और याचिकाकर्ता को कहा था कि वह चाहे तो इस संबंध में अपना अभ्यावेदन एसीबी को दे सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से 27 मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दस्तावेजों के साथ एसीबी को अभ्यावेदन पेश किया। इसके बावजूद भी एसीबी ने केवल एक मामले में एफआईआर दर्ज की और उसमें भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया।